श्रीधर सी० भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 6.9.2011 को जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति विकासार्थ योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा टिप्पणी :-

---

1.0 धारा 275 (1) :-

1. धारा 275 (1) अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 के 3 लाख रू0 अवशेष है। ये राशि योगापट्टी प्रखंड में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत है। अंचल अधिकारी, योगापट्टी के द्वारा निःशुल्क निबंधन का प्रस्ताव प्राप्त है। अपर समाहर्त्ता को प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराते हुए 2 दिनों के अंदर आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। निःशुल्क निबंधन का आदेश पारित कर आदेश की प्रति के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी को भवन निर्माण करने हेतु शत-प्रतिशत राशि उपयोग करने का निदेश दिया दें।
2. वर्ष 2009-10 में प्राप्त 203.20 लाख रू0 में से ट्यूबवेल एवं पम्प सेट हेतु योजना की स्वीकृति दी गयी है एवं राशि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया को उपलब्ध कराया गया है। इस आवंटन के अंतर्गत मात्र 14 हजार रू0 अवशेष है जिससे कोई योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त राशि को कोषागार के निर्धारित जमा शीर्ष में जमा कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। राशि जमा कराते हुए एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।
3. वर्ष 2010-11 में 167 लाख रू0 से 6 चेक डैम की स्वीकृति दी गयी है। प्राप्त कुल राशि में से 19,8[illegible] रू0 अवशेष है। इस निमित चिन्हित क्षेत्र के लिए [illegible] पदाधिकारी से प्र[illegible] प्राप्त कर राशि स्वीकृत कराने का निदेश दिया गया।

2.0 माडा योजना अ[illegible] आधारभूत संरचना :-

माडा योज[illegible] प्राप्त कुल आवंटन में से 30 प्रतिशत की राशि [illegible] संरचना में व्यय [illegible] जानी है। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्राप्त [illegible] सूद की राशि सहित कुल 4 योजना की स्वीकृति दिनांक 18.12.2010 को आयोजित चयन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा की गयी है। प्रथम किस्त की राशि विमुक्त है। योजना की त्वरित कार्रवाई हेतु बगहा-2 एवं गौनाहा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के निदेशित किया गया। वरीय प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से अनुश्रवण कर योजना को दो माह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। दोनों प्रखंड विकास

पदाधिकारी योजना की मापी पुस्तिका अभिप्रमाणित छायाप्रति और अद्यतन स्थिति की फोटो प्रेषित करेंगे।

3.0 आयोत्पादक योजना :–

1. वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन में से आयोत्पादक कार्य हेतु 70 प्रतिशत लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया बताया गया। उप विकास आयुक्त वर्ष 2009–10 के आवंटन में से चेक निर्गत पंजी की सत्यापन कर संबंधित वर्ष के योजना पंजी से मिलान कराकर प्राप्त आवंटन के विरूद्ध की गयी कुल व्यय की अभिलेखों का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। तदनुसार यदि राशि अवशेष है तो कार्रवाई करेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2010–11 में आमोद पदक कार्य हेतु दो आवंटन प्राप्त हैं। कुल 37.80 लाख रू0 प्राप्त है। इनमें से 21 लाख, 10 हजार रू0 की प्रथम किस्त की राशि बगहा–2 प्रखंड के लाभार्थियों के लिए प्राप्त है। इनमें से सामग्री वितरण हेतु पम्प सेट की 55 आवेदन प्राप्त है एवं निविदा के माध्यम से दर निर्धारित किया गया है। पम्प सेट वितरण हेतु न्यूनतम निविदादाता को नोटिस निर्गत कर अनुमानित उपलब्धि अंकित करते हुए सभी लाभार्थियों को पम्प सेट का वितरण बगहा अनुमंडल मुख्यालय में उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण सुनिश्चित करेंगे।
3. अवशेष राशि में से अन्य सामग्री की दर निर्धारित करने हेतु पुनः निविदा निर्धारित करें। साथ ही माडा क्षेत्र में चिन्हित सभी पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने हेतु कैम्प आयोजित करना सुनिश्चित करें।

4.0 कौशल्य प्रशिक्षण :–

वर्ष 2010–11 में कौशल्य प्रशिक्षण हेतु [illegible] राशि में 11.5 लाख अवशेष है। कौशल्य प्रशिक्षण हेतु सुयोग्य संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन निर्गत करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश [illegible] गया। एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन निर्गत करना जिला कल्याण पदाधिकारी [illegible] करेंगे।

5.0 स्वयं सहायता समूह का गठन :–

जिला कल्याण कार्यालय में माडा योजना [illegible] पूर्व में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए 8 लाख रू एवं महिला विकास निगम द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए 7 लाख रू0 अवशेष है। उप विकास आयुक्त उपरोक्त आवंटन के व्यय हेतु कार्यप्रणाली तैयार करेंगे।

6.0 लेखा का संधारण :–

सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। सहायक रोकड़ पंजी में दिनांक 15.04.2011 तक प्रविष्टि दर्ज है। पृष्ठ संख्या 58 में अवशेष राशि 2 करोड़, 60 लाख, 27 हजार, 5 रू0 दर्शाया गया है। समीक्षा के क्रम में जो राशि की विवरणी प्रस्तुत किए गए हैं उससे काफी मात्रा में राशि रोकड़ पंजी मे अवशेष है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से माडा एवं संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत प्राप्त आवंटन के आलोक में मिलान कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1452 /गो0, दिनांक 10 /09/2011

प्रतिलिपिः– जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण/सहायक समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण बेतिया/अवर योजना पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।